न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 38/2018

अनवान

श्री लक्ष्मण पुत्र श्री भुगडामल जाति सिंधी निवासी ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर।
————————अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर। ————————रेस्पोडेन्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी बाबत अपील एल.आर.एक्ट संख्या 111/2006 पारित आदेश दिनांक 21.9.2006 की पालना करवाये जाने बाबत

उपस्थितिः—

1. श्री शहाबुद्दीन खान — अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर — राजकीय अभिभाषक

—: आदेश :—

दिनांक :— 06.10.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.9.2006 द्वारा प्रकरण संख्या 111/2006 बउनवान लक्ष्मण बनाम सरकार में ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर स्थित आराजी ख.नं. 1525 व अन्य खसरा नम्बरान को प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गई एवं नहीं इस बाबत कोई सन्तोष जनक जवाब दिया गया। न्यायालय हाजा के उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी से करवाये जाने बाबत प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया तथा सम्बन्धित पत्रावली, रिकार्ड से तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रार्थना पत्र तथ्यों बाबत रिर्पोट तलब की गईं। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभयपक्ष को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी नें प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.9.2006 द्वारा प्रकरण संख्या 111/2006 बउनवान लक्ष्मण बनाम सरकार में ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर स्थित आराजी ख.नं. 1525 व अन्य खसरा नम्बरान को प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गई एवं नहीं इस बाबत कोई सन्तोष जनक जवाब दिया गया। न्यायालय हाजा के उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी से करवाये जाने के आदेश न्याय हित में पारित करावें।

अभिभाषक रेस्पों. सं0 1 नें अपनी बहस में मुख्यतः कथन किया कि मामले में पटवारी हल्का दौराई से प्रश्नगत आराजी बाबत वर्तमान स्थिति की प्राप्त

रेकार्ड ✓

जिला कलक्टर
अजमेर

जांच रिपोर्ट मुताबिक ग्राम दौराई के वर्किंग खसरा नं0 1525 रकबा 05–02–10 के नवीन खसरा नं0 436 रकबा 0.08, 437 रकबा 0.17, 438 रकबा 0.48, 439 रकबा 0.05, 1142/3353 रकबा 0.05 बने। हाल रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार सम्वत 2069–72 में नवीन खसरा नं0 436 रकबा 0.08, 437 रकबा 0.17, 438 रकबा 0.48, 439 रकबा 0.05, 1142/3353 रकबा 0.05 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज है। मौके पर रेल्वे विभाग के क्वार्टर (भवन) तथा अन्य निर्माण अवस्थित है। तहसीलदार अजमेर का पत्र क्रमांक ओके/1098 दिनांक 10.2.1975 भू–संशोधन कार्यवाही के समय का है। राज्य सरकार द्वारा भू–संशोधन कार्यवाही के समय जारी समस्त आदेश निरस्त (प्रभाव शून्य) घोषित कर दिये गये हैं। लिहाजा तहसीलदार अजमेर का प्रश्नगत आदेश प्रभाव शून्य होने से उसकी पालना करना विधि सम्मत नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी (तहसीलदार अजमेर) का विवादित आराजी बाबत पारित प्रश्नगत आदेश बाबत मुख्यतः कथन है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 10.2.1975 भू–संशोधन कार्यवाही दौरान का है। भू–संशोधन कार्यवाही दौरान जारी समस्त आदेश राज्य सरकार द्वारा निरस्त/प्रभाव शून्य कर दिये गये है।

चूंकि प्रश्नगत मामले में दौराने सुनवाई हमारे समक्ष निम्न तथ्य प्रकट आये हैः–

1. तहसीलदार द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.2.1975 प्रभावहीन हो चूका है।
2. वर्तमान में विवादित आराजी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम दर्ज है।
3. मौके पर रेल्वे विभाग के क्वार्टर एवं अन्य निर्माण है।

लिहाजा उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होने से इसी स्तर पर इसी कदर से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 06.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर